कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्र संख्या-सीओएल-ज0सू0आनलाईन-63/2022 दिनांक-दिसम्बर ,2022

सेवा में,

आवेदक कमलेश सिंह निवासी-कोठरा कंतित पो0 श्रीनिवासधाम थाना जिगना मीरजापुर पिन कोड- 231313।

कृपया अपने आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गयी सूचना में अंकित बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपेक्षित वांछित सूचना **थाना-जिगना** से प्राप्त कर संलग्न है।

तद्नुसार अवगत हो।

क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक/जनसूचना अधिकारी, मीरजापुर को पत्र संख्या ज0सू0आनलाईन-63/2022 दिनांक-03.11.2022 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित

रिपोर्ट थाना जिगना मीरजापुर

सेवा में

श्रीमान् क्षेत्राधिकारी लालगंज / सहायक जन सूचना अधिकारी

जनपद मीरजापुर महोदय

महोदय

कृपया आप पत्र संख्या ज०सू० आनलाइन 63/2022 दिनांक-3-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो आवेदक कमलेश सिंह पुत्र रघुवर दयाल सिंह निवासी ग्राम कोठरा कांति थाना जिगना मीरजापुर उ०प्र० द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित आवेदन पत्र सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) मे प्राविधानो सूचना इस प्रकार है।

1- आवेदक के पिता श्री रघुवर दयाल सिंह पुत्र स्व० भानुप्रताप सिंह निवासी कोठरा कांति थाना जिगना मीरजापुर द्वारा बताया गया कि मेरे पास लगभग 18 बीघा जमीन है जिसमे से अपने बड़े लड़का स्व० जगदीश सिंह के लड़का राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व जगदीश सिंह को एक बीघा 6 बीस्वा व अपने दो बहुए रीता देवी पत्नी जयचीट सिंह तथा प्रिया सिंह पत्नी दिलीप सिंह को एक बीघा 6 बीस्वा दोनो के नाम रजिस्ट्री किया हुँ जिसमे रीता देवी पत्नी जयचीट सिंह द्वारा बोरिंग करायी जा रही थी। विपक्षी को मना कर दिया गया है। और मा० न्यायालय के आदेश का पालन करते व कोई नव निर्माण न किये जाने हेतु बताया गया।

2- पैतृक सम्पत्ति रघुवर दयाल सिंह पुत्र स्व भानु प्रताप सिंह के नाम है आवेदक अपने हिस्से मे मकान बनाकर जानवर रख रहे है और रह रहे है। वर्तमान समय मे कोई नव निर्माण न हो विपक्षी गण को हिदायत दी गयी है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाय तथा यथा स्थिति बनाये रखा जाय।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है

संलग्नक

1. जन सूचना आनलाइन 63/2022 - 01 वर्क
2. R.T. Request Details - 01 वर्क

[signature]
1-12-2022
उ०नि० नैपाल सिंह
थाना जिगना मीरजापुर

Sir

शिकायत संख्या–60000230077447

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–60000230077447 में शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह द्वारा स्टाम्प चोरी की शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत शिकायत के क्रम में उप निबन्धक सदर द्वारा लेखपत्र संख्या 13783/2021 व 13784/2021 का स्थल निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह की उपस्थिति में दिनांक 21.04.2023 को करते हुए लेखपत्र संख्या 13783/2021 में कमी स्टाम्प शुल्क रू0 1,90,750/– एवं कमी निबन्धन शुल्क रू0 38,890/– कुल कमी रू0 2,29,640/– तथा लेखपत्र संख्या 13784/2021 में कमी स्टाम्प शुल्क रू0 36,050/– एवं कमी निबन्धन शुल्क रू0 7,950/– कुल कमी रू0 44,000/– इंगित करते हुए वसूली हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसे राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया है, जिसका स्टाम्पवाद संख्या क्रमशः D202316530000370 व D202316530000371 है। जहाँ तक तहसीलदार सदर की जांच का प्रश्न है, प्रकरण इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण निस्तारित की जाती है।

25-04-2023

(कृष्ण कुमार यादव)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
मीरजापुर।

<u>शिकायत संख्या–60000230077406</u>

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–60000230077406 में शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह द्वारा स्टाम्प चोरी की शिकायत की गयी है। प्रेषित शिकायत के सम्बन्ध अवगत कराना है कि कि प्रश्नगत शिकायत के क्रम में उप निबन्धक सदर द्वारा लेखपत्र संख्या 13783/2021 व 13784/2021 का स्थल निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री कमलेश सिंह की उपस्थिति में दिनांक 21.04.2023 को करते हुए लेखपत्र संख्या 13783/2021 में कमी स्टाम्प शुल्क रू0 1,90,750/– एवं कमी निबन्धन शुल्क रू0 38,890/– कुल कमी रू0 2,29,640/– तथा लेखपत्र संख्या 13784/2021 में कमी स्टाम्प शुल्क रू0 36,050/– एवं कमी निबन्धन शुल्क रू0 7,950/– कुल कमी रू0 44,000/– इंगित करते हुए वसूली हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसे राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया है, जिसका स्टाम्पवाद संख्या क्रमशः D202316530000370 व D202316530000371 है। प्रकरण निस्तारित की जाती है।

25.04.2023

(कृष्ण कुमार यादव)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
मीरजापुर।

प्रेषक,

उप निबन्धक,सदर
जनपद मीरजापुर

सेवा में,

सहायक आयुक्त स्टाम्प
जनपद–मीरजापुर।

पत्रांक : 194 उ०नि०–सदर /2023 दिनांक 21-04-2023

विषयः– कार्यालय में निबंधित विलेख संख्या 13783/2021 के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का स्थलीय सत्यापनोपरान्त गोपनीय आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या 121/टी0 ए0 सी0–परि0 –126/शि0 का0 लख0/2012 दिनांक 20.04.2012 में दिये गये निर्देशों के कम में उप रजिस्ट्रार कार्यालय सदर,मीरजापुर में निबंधित विलेख संख्या जिसका विवरण निम्नवत है:–

1– विक्रेता का नाम व पता	श्री रघुवर दयाल पुत्र स्व0 भानप्रताप निवासी ग्राम– कोठरा कंतित तप्पा 96, परगना– कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर।
2– केता का नाम व पता	श्रीमती प्रिया सिंह पत्नी दिलीप सिंह निवासिनी ग्राम– कोठरा कंतित तप्पा 96, परगना कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर।
3– सम्पत्ति का विवरण	मौजा– कोठरा माण्डा तप्पा 96 परगना कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर। आराजी 20 रकबा 2.7630 हे0 विकीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.3290 हे0
4– प्रतिफल की धनराशि	5,00,000/–
5– सर्किल दर से आगणित मूल्य	6,36,000/–
6– अदा स्टाम्प शुल्क	25,500/–

उक्त वर्णित सम्पति का स्थलीय सत्यापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 21.04.2023** को शिकायत कर्ता की उपस्थिति मे किया गया। स्थलीय सत्यापन के समय प्रथम दृस्टया पाया गया कि प्रश्नगत विलेख द्वारा अन्तरित भूमि मे भूतल 31* 32 वर्गफीट व प्रथम तल 31* 32 वर्गफीट का गाटर पटिया से निर्माण है। तथा 70 पेड़ सागौन 10 वर्ष से अधिक व 2 पेढ नीम 10 वर्ष से अधिक है।

इस प्रकार मौके पर पाये गये तथ्यों को प्रकाश मे विलेख संख्या 13783/2021 के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नवत प्रस्तावित है।

– भूखण्ड का मूल्यांकन	आवासीय भूमि 92.19 वर्गमीटर का मूल्यांकन जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची के प्रारूप –2 के अनुसार 1290/– प्रति वर्गमीटर की दर से (92.19 x 1290)= 118925/– निर्माण गाटर पटिया से (31 x 32)+(31 x 32) = 1984 वर्गफीट यानि 184.38 वर्गमी0 का मूल्यांकन 11000/– प्रति वर्गमीटर से 2028180/– रूपया होगा । शेष कृषि भूमि (0.329 है0 – 0.009219 है0) 0.319781 है0 का मूल्यांकन जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची के प्रारूप–4 की कृषि दर 1754000रू प्रति हेक्टेयर से 560896 रूपया होगा तथा कृषि भूमि मे रास्ता होने के कारण 10 प्रतिशत वृद्वि 56090 रूपया होगा। तथा 70 पेड़ सागौन की मालियत 70* 25000रू0 की दर से 17,50,000रूपया व 2 पेड़ नीम की मालियत 5000 रूपये के अनुसार 10000/– रूपया होगा अतः कुल मालियत (118925 +2028180+560896+56090+1750000+10000)= 45,24,091/–
2– कुल मूल्यांकन	45,25,000/–
3– देयस्टाम्प शुल्क	2,16,250/–
4– अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	25,500/–
5– कमी स्टाम्प शुल्क	1,90,750/–
6– देय निबन्धन शुल्क	45,250/–
7– अदा किया गया निबन्धन शुल्क	6,360/–
8– कमी निबन्धन शुल्क	38,890/–
9– कुल कमी	38,890+1,90,750=2,29,640/–

उक्त लेखपत्र सं0 13783/2021 की छायाप्रति गोपनीय आख्या नजरी नक्शा व फोटोग्राफ इस अनुरोध से प्रेषित है कि सहमति की दशा में आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक–

1. विलेख संख्या– 13783/2021की छायाप्रति।
2. सम्पत्ति का नजरी नक्शा व फोटो ग्राफ।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

उप निबन्धक,सदर
जनपद मीरजापुर।

उप निबन्धक
सदर-मीरजापुर

प्रेषक,

उप निबन्धक,सदर
जनपद मीरजापुर

सेवा में,

सहायक आयुक्त स्टाम्प
जनपद–मीरजापुर।

पत्रांक : 125 उ0नि0–सदर /2023 दिनांक 21-04-2023

विषयः– कार्यालय में निबंधित विलेख संख्या 13784/2021 के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का स्थलीय सत्यापनोपरान्त गोपनीय आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या 121/टी0 ए0 सी0–परि0 –126/शि0 का0 लख0/2012 दिनांक 20.04.2012 में दिये गये निर्देशों के कम में उप रजिस्ट्रार कार्यालय सदर,मीरजापुर में निबंधित विलेख संख्या जिसका विवरण निम्नवत है:–

1– विक्रेता का नाम व पता	श्री रघुवर दयाल पुत्र स्व0 भानप्रताप निवासी ग्राम– कोठरा कंतित तप्पा 96, परगना– कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर।
2– केता का नाम व पता	श्रीमती रीता सिंह पत्नी जयवीर सिंह निवासिनी ग्राम– कोठरा कंतित तप्पा 96, परगना कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर।
3– सम्पत्ति का विवरण	मौजा– कोठरा माण्डा तप्पा 96 परगना कंतित तहसील सदर जिला– मीरजापुर। आराजी 20 रकबा 2.7630 हे0 विकीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.3290हे0
4– प्रतिफल की धनराशि	5,00,000/–
5– सर्किल दर से आगणित मूल्य	6,36,000/–
6– अदा स्टाम्प शुल्क	25,500/–

उक्त वर्णित सम्पति का स्थलीय सत्यापन अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 21.04.2023** को शिकायतकर्ता की उपस्थिति मे किया गया। स्थलीय सत्यापन के समय प्रथम दृश्टया पाया गया कि प्रश्नगत विलेख द्वारा अन्तरित भूमि मे 83.64 वर्गमीटर आवासीय भूमि है जिसपर छप्पर निर्माण है। शेष 0.320636 हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसपर 4 आम का पेड़, 2 पेड़ महुआ, 1 पेड जामुन, 4 पेड़ अन्य सभी पेडों की उम्र 10 वर्ष से अधिक है।

इस प्रकार मौके पर पाये गये तथ्यों के प्रकाश मे विलेख संख्या 13784/2021 के द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नवत प्रस्तावित है।

1– भूखण्ड का मूल्यांकन	आवासीय भूमि 83.64 वर्गमीटर का मूल्यांकन जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची के प्रारूप –2 के अनुसार 1290/– प्रति वर्गमीटर की दर से (83.64 x 1290)= 107896/– निर्माण छप्पर से 83.64 वर्गमी0 का मूल्यांकन 7000/– प्रति वर्गमीटर से 585480/– रूपया होगा । शेष कृषि भूमि (0.329 है0 – 0.008364 है0) 0.320636 है0 का मूल्यांकन जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची के प्रारूप–4 की कृषि दर 1754000रू प्रति हेक्टेयर से 562396 रूपया होगा तथा कृषि भूमि मे रास्ता होने के कारण 10 प्रतिशत वृद्वि 56240 रूपया होगा। तथा 4 पेड़ आम व 2 पेड़ महुआ व 1 पेड़ जामुन की मालियत 7 * 14000रू0 की दर से 98,000 रूपया व 4 पेड़ अन्य की मालियत 5000 रूपये के अनुसार 20000/– रूपया होगा अतः कुल मालियत (107896 + 585480 + 562396 + 56240 + 98000 + 20000)= 14,30,012/–
2– कूल मूल्यांकन	14,31,000/–
3– देयस्टाम्प शुल्क	61,550/–
4– अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	25,500/–
5– कमी स्टाम्प शुल्क	36,050/–
6– देय निबन्धन शुल्क	14,310/–
7– अदा किया गया निबन्धन शुल्क	6,360/–
8– कमी निबन्धन शुल्क	7,950/.–
9– कुल कमी	7,950+36,050=44,000/–

उक्त लेखपत्र सं0 13784/2021 की छायाप्रति गोपनीय आख्या नजरी नक्शा व फोटोग्राफ इस अनुरोध से प्रेषित है कि सहमति की दशा में आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक–

1. विलेख संख्या– 13784/2021की छायाप्रति।
2. सम्पत्ति का नजरी नक्शा व फोटो ग्राफ।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

प्र0उप निबन्धक,सदर

जनपद मीरजापुर।

उप निबन्धक

सदर-मीरजापुर